अध्याय –3

गरीबी दूर करने के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण

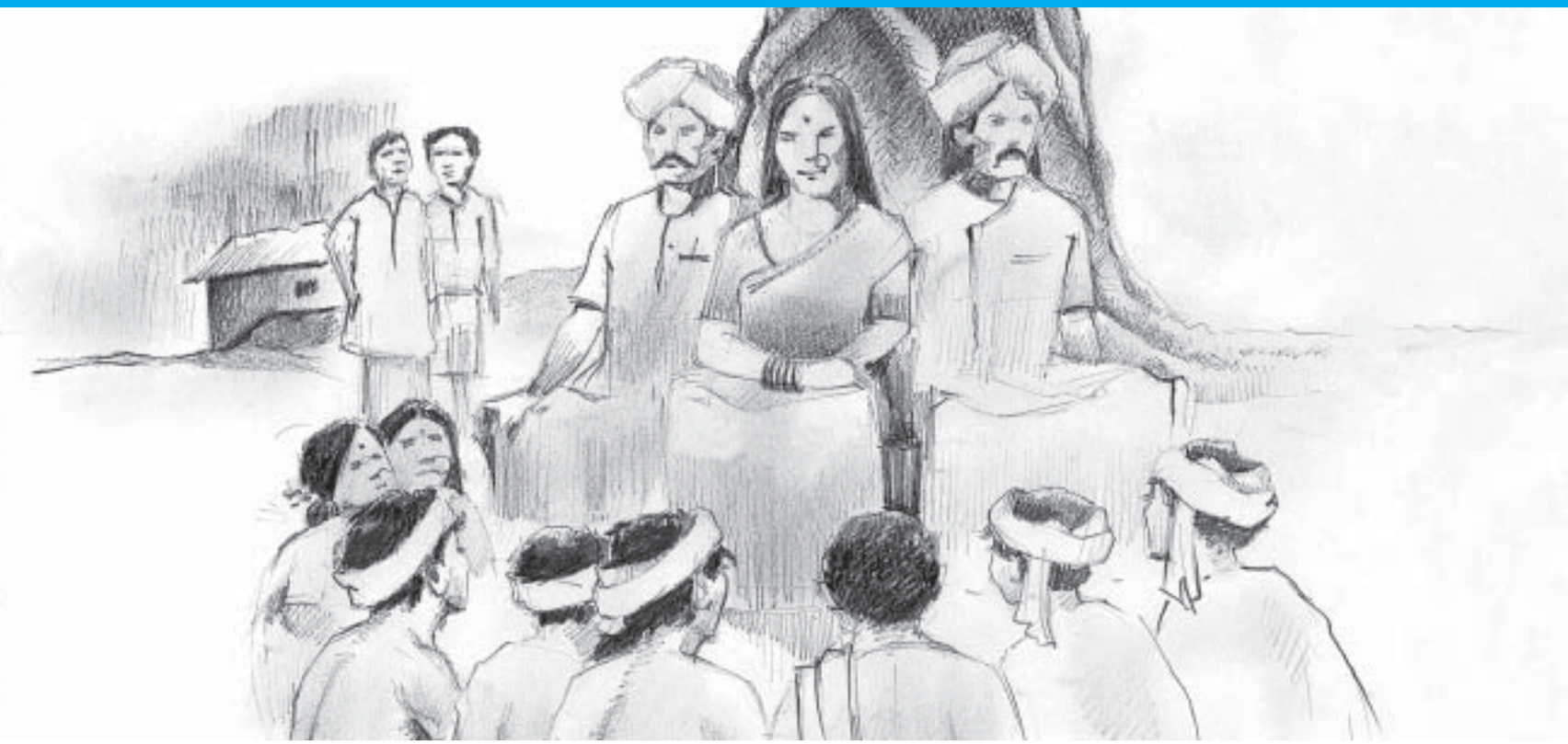

पिछले अध्यायों में यह दर्शाया गया कि गरीबी मानवाधिकारों के हनन और उन पर अमल करने में विफलता का नतीजा है। गरीबी दूर करने के नाम पर अब तक जो उपाय किए गए, वे मुख्यतः बाज़ार परिचालित विकास की धारणा से प्रभावित और तदर्थ बुद्धि का परिणाम थे। वे समाधान थे ही नहीं।

दान हमेशा अनुग्रह और उपकार के स्तर पर रहता है, इससे अधीनता बढ़ती है, गरीबों की कथित खामियों के बारे में भ्रान्त धारणाओं को बल मिलता है, साथ ही अमीरों को उनके बारे में शिकायत करने का आधार मिलता है और दानदाताओं (donors) को अपना वैधानिक दायित्व पूरा करने से इंकार करने को न्यायोचित ठहराने का अवसर मिल जाता है। बाज़ार पर वैचारिक निर्भरता एक अन्तर्निहित लक्ष्य पर टिकी हुई है, जिसमें व्यक्ति की लाभ पाने की कामना और अन्ततः उसके लालच को महिमा मंडित किया जाता है। यह मुनाफा–संचालित व्यवस्था (profit-driven system) है, जिस पर अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो वह समुदायों को छिन्न–भिन्न और नष्ट कर देगी। इससे कमजोरी और असुरक्षा की स्थिति पैदा होती है और यह सामान्य मूल्यों पर आधारित नहीं है, क्योंकि इसमें मनुष्य को वस्तुओं, श्रम या उपभोक्ताओं के रूप में देखा जाता है।

दूसरी ओर, गरीबी दूर करने के लिए जो समाधान मानवाधिकारों की बुनियाद पर सोचे गए हैं, वे एक ऐसा स्पष्ट विकल्प प्रदान करते हैं, जिसे पितृवत कल्याण पर आधारित दृष्टिकोण या बाज़ार से रचनात्मक परिणाम की उम्मीद पर आधारित दृष्टिकोण, दोनों के ही स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिकारों पर आधारित नज़रिया गरीबी दूर करने के उस नज़रिये से मेल नहीं खाता जिसमें थोड़ा–थोड़ा करके लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इससे मानवाधिकार उपेक्षित होते हैं। दूसरी तरफ, अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण यह स्वीकार नहीं करता कि गरीबी दूर करने को बाज़ार का आकस्मिक सह–उत्पाद समझा जाये।

e:\chri-talisman report\final files\p9_91.pmd

cyan black

इसमें गरीबों को भागीदारी और अधिकार देने को प्राथमिकता दी जाती है, लोकतांत्रिक पद्धतियों पर बल दिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, राष्ट्रों, वाणिज्यिक क्षेत्र और स्थानीय समुदायों और संगठनों से उम्मीद की जाती है कि वे मानवाधिकारों का सम्मान व अनुपालन करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। यह नज़रिया विश्व समाज के नैतिक और वैधानिक दायित्वों पर बल देता है ताकि न्याय और समानता पर आधारित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके जिसमें सभी समूह और व्यक्ति सम्मानपूर्वक जी सकें। यह मानव–मात्र की समानता के मूलभूत सिद्धान्त पर आधारित है। यह विभिन्न आकांक्षाओं और हितों वाले व्यक्तियों और समुदायों के बीच संतुलन कायम करता है और उनके बीच सुलह–सफाई का रास्ता है। इस तरह यह उन अतीव आर्थिक या सामाजिक नीतियों और विचारधाराओं की तरफ झुकाव से रोकता है जो वैश्वीकरण के अनेक आचरणों और औचित्यों में समाविष्ट हैं।

यह शासन में सभी नागरिकों की भूमिका को मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देता है। इस सिद्धान्त के मूल्यों की सहज रूप से अधिकतर लोग प्रशंसा कर सकते हैं। वास्तव में मानवाधिकार सामाजिक और राजनीतिक संगठन का आधार प्रदान कर सकते हैं। जिन समुदायों को जीवन की बुनियादी जरूरतों से वंचित रखा गया हो, उन्हें एक संतोषजनक जीवन का अधिकार देने की अपील बड़ी ही व्यापक और समर्थ बनाने वाली है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का विचार, समान अवसर और जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी किए जाने के दावों के लिए एक वैध भूमिका निभा सकता है। विविध हितों के एक 'पिटारे' से भिन्न मानवाधिकार एक सुसम्बद्ध, जटिल व्यवस्था का निर्माण करते हैं, जो सार्वभौम मूल्यों पर आधारित है।

गरीबी उन्मूलन का अधिकार आधारित नज़रिया हमें विकास के वास्तविक प्रयोजनों के प्रति सचेत करता है। मानवीय विकास के सभी पहलुओं को हासिल करने पर ज़ोर देता है। इन पहलुओं में रोज़गार, आहार, स्वास्थ्य देखभाल, साक्षरता, भागीदारी, मुक्त जीवन, संगठन बनाने और एकजुट होने के अधिकारों का संरक्षण शामिल है। यह दृष्टिकोण हमें उन दायित्वों का स्मरण कराता है जो सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा पूरे किए जाने हैं ताकि वे ऐसी नीतियां और संस्थान कायम करें, जिनमें व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों के प्रयासों के माध्यम से इन अधिकारों को हासिल किया जा सके।

वैश्वीकरण की विचारधारा और बाज़ारों के सामने आ रहे प्रभाव, मानवाधिकार मानदंडों के विपरीत हैं और विडम्बना यह है कि वे इतने शक्तिशाली हैं कि उनका मुकाबला मानवाधिकारों की विचारधारा से ही किया जा सकता है, जो अधिक प्रभावशाली है क्योंकि इसे सार्वभौम श्रेष्ठता का दर्जा प्राप्त है, जिसका विकास पिछले वर्षों में बहस, परिष्कार, पुनरावृत्ति और सहमति के जरिए हुआ है। आवश्यकता सिर्फ मानवाधिकारों की सर्वोच्चता दोहराने और सभी स्तरों पर उनकी ताकत बढ़ाने की है ताकि वैश्वीकरण के अधिक हानिकारक असर पर नियंत्रण किया जा सके और मानव गरिमा की रक्षा और उसे प्रोत्साहित करने की दिशा में काम किया जा सके।

यह सही है कि हर प्रकार के अधिकार के महत्व की अलग–अलग व्याख्याएं हैं, क्योंकि 'अच्छे समाज' की अलग–अलग परिकल्पनाएं की गई हैं। प्रतिस्पर्धी प्रतिमानों के होते हुए कभी कभी मानवधिकारों का समूचा क्षेत्र विवादग्रस्त लगता है, खासकर इसलिए कि निहित स्वार्थों के कारण व्यवहार में मानवाधिकारों की परस्पर निर्भरता तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के समान दर्ज़ा नहीं दिया जाता।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक माहौल में नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों का चुनिन्दा इस्तेमाल करने के बारे में शिकायतें की गयी हैं जो कुछ हद तक जायज़ हैं। जैसे की नमनशील राजनैतिक और आर्थिक सांझेदारों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से अन्य देशों का नाम उछालने या बदनाम करने के लिए हों; या अपने देश के लाभ के लिए विदेशी बाज़ारों को जबरन खुलवाने के लिए हों; या भौगोलिक आधिपत्य स्थापित करने की दृष्टि से विदेशी नीति का एक तंत्र के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हों; अथवा ऐसी शर्तें लागू करवाने के लिए जो शक्तिशाली औद्योगिकी हितों का संरक्षण करने के बारे में हों।

अलग–अलग समय पर भिन्न–भिन्न विचारधाराओं को उचित ठहराने के लिए अलग–अलग अधिकारों का इस्तेमाल किया जाता है–इनमें कोई व्यक्तिगत उद्यम और लाभ पर आधारित होता है, तो कोई सामाजिक न्याय और भागीदारी पर। हमेशा ऐसा नहीं होता कि किसी विचारधारा का विभाजन, जैसा कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से सम्बद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक

e:\chri-talisman report\final files\p1 to 8.pmd

cyan black

गरीबों के पक्ष में एक आवाज़

गरीबी दूर करने के प्रति अधिकार आधारित दृष्टिकोण में गरीबों की भागीदारी पर बल दिया गया है, ताकि नीति निर्माण प्रक्रिया में उनकी आवाज़ का ध्यान रखा जा सके।

यह पता लगाने के लिए कि निर्धनों का गरीबी और उसके समाधान के बारे में क्या कहना है, दक्षिण अफ्रीकी मानवाधिकार आयोग और लिंग समानता आयोग ने गरीबी के बारे में नौ प्रान्तों में लगातार 10 सुनवाइयों के दौरान गरीबों का आह्वान किया कि वे गरीबी के बारे में अपने विचार रखें। इन सुनवाइयों में करीब 10, 000 लोगों और समुदायों को हिस्सा लेने के लिए एकजुट किया गया। 35 दिन तक चली सुनवाई में करीब 600 लोगों ने मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये। इसके अंतर्गत भोजन, रोज़गार, भूमि, ग्रामीण विकास, आवास और शहरी विकास, सामाजिक सेवाएं, स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर सुनवाई हुई। बड़ी संख्या में लोगों ने जिन सिफारिशों पर हस्ताक्षर किये, उम्मीद है कि सरकार उन पर गरीबी उन्मूलन की अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में ध्यान देगी।

इसी प्रकार नाइजीरिया में, विजन ऑव डेवलेप्मेंट प्रोजेक्ट अभियान के अंतर्गत देशभर में लोगों का सर्वेक्षण करके गरीबी के बारे में उनके विचार जानने की कोशिश की गयी। उनसे पूछा गया कि वे अपने हालत के बारे में क्या सोचते हैं और उसमें सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए। भारत में, केरल में विकास योजनाएं राज्यभर में लम्बे विचार–विमर्श और सर्वेक्षणों के बाद तैयार की जाती हैं।

1999 में युगांडा में गरीबी मूल्यांकन कार्यक्रम के दौरान पता चला कि लोग गरीबी को ''बहुआयामी–अधिकारहीनता और बुनियादी भौतिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साधनों का अभाव'' [186]– मानते हैं। कामनवैल्थ फाउंडेशन द्वारा 45 राष्ट्रमंडल देशों में भागीदार संगठनों के सहयोग से कराए गए नागरिक समाज के एक सर्वेक्षण के नतीजों में यह तथ्य उद्घाटित हुआ कि बेहद गरीब व्यक्ति को भी इस बात का अहसास है कि बेहतर शासन और बेहतर समाज का कितना महत्व है, लेकिन उसे लगता नहीं कि कोई सुनने वाला है। [187]

प्रत्येक सर्वेक्षण से पता चलता है कि लोगों का मानना है कि गरीबी की समस्या बेहतर शासन की कमी के कारण बनी हुई है, किन्तु यह जानना मात्र पर्याप्त नहीं है। स्वयं सरकारें और राष्ट्रमंडल उस लॉबी को अपेक्षकृत कम महत्व देते हैं, जिसमें बहुसंख्य आबादी शामिल हैं और अमीर तथा शक्तिशालियों के छोटे समूह की बात पर अधिक ध्यान दिया जाता हैं।

अधिकारों के प्रसंविदा के अलग–अलग होने का अर्थ है, कि विचारधाराओं की विभाजन रेखा के परे एक ओर नागरिक और राजनीतिक अधिकार स्थित हैं और दूसरे किनारे पर आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार। यह विभाजन, वर्ग भेद और आर्थिक वस्तु स्थिति के कारण भी सकता है। उदाहरण के लिए, सम्पत्ति का अधिकार अमीर और गरीब दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन गरीब की सम्पत्ति की रक्षा नहीं की जाती; सम्पत्ति के संरक्षण का सवाल केवल तभी उठता है जब उसे गरीब से लेकर अमीर के हवाले कर दिया गया हो। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की अवधारणा पर 17 वीं और 18 वीं सदियों में पश्चिम में जबरदस्त आन्दोलन उठा था, लेकिन इन अधिकारों का लक्ष्य एक नये उभरते हुए वर्ग के शासन के दावे को वैधता प्रदान करना और अंततः उसे स्वीकार्य बनाना था। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की धारणा आज उसी तरह की भूमिका अदा कर सकती है और उपेक्षित तथा अधिकारहीन वर्गों और समुदायों के जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं और समान अवसरों के दावों को वैधता प्रदान की जा सकती है। इस तरह मानवाधिकारों का दायरा कारगर बनाने के लिए नीति निर्माताओं को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को अधिक जोरदार ढंग से मान्यता देनी होगी।

हालांकि मानवाधिकार नियमों के इस्तेमाल और उन पर अलग–अलग मात्रा में जोर दिये जाने को लेकर विवाद बने हुए हैं, लेकिन अविभाज्य मानवाधिकारों के समूचे आदर्श में निहित मूल्यों की प्रधानता उन्हें एक सर्वोच्च वैधता प्रदान करने वाली शक्ति बनाती है। गिने–चुने देश ऐसे हैं जो मानवाधिकारों में निहित मूल्यों अथवा इन अधिकारों पर निगरानी और उनके संरक्षण के लिए किये गये अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय प्रबंधों का विरोध करते हैं। इन अधिकारों के क्षेत्र और मूल्यों के बारे में व्यापक समझौता करना संभव हुआ और विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं और विभिन्न धर्मों तथा सांस्कृतिक परम्पराओं से सम्बद्ध अनेक देशों द्वारा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय

e:\chri-talisman report\final files\p9_91.pmd

cyan black

समझौतों का अनुसमर्थन भी किया गया है। लेकिन यह व्यापक समझौता ज्यादातर शब्दांडबर तक ही सीमित होता है। पर अत्याचारी राज्यों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा कार्रवाई करने के पक्ष में भी यह कारगर हुआ है। इतना ही नहीं, चुने हुए अधिकारों की बुनियाद चाहे धार्मिक हो या धर्म–निरपेक्ष, इस बात पर व्यापक सहमति है कि अधिकार मानवमात्र में अंतर्निहित हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जो लोग मानवाधिकारों पर निरन्तर नुक्ताचीनी करते हैं, और उन्हें थोपी गयी मूल्य प्रणाली बतलाते हैं, वे भी समानता और भागीदारी की सार्वभौम अवधारणाओं को गम्भीर चुनौती नहीं देते। इन्हीं अवधारणाओं पर मानवाधिकार आधारित हैं।

इन अधिकारों पर सहमति का आधार यह अवधारणा है कि मानवाधिकारों का उद्देश्य मानव की गरिमा की रक्षा करना है, भले ही इस गरिमा के स्रोत के बारे में अलग–अलग विचार क्यों न हों। मानवाधिकार की धारणा मानव गरिमा को सर्वोपरि रखती है और चूंकि गरिमा जीवन की स्वायत्तता और बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किये जाने के साथ गहरे से जुड़ी है, अतः इसका संबंध गरीबी के कारणों और उन्हें दूर किये जाने से भी जुड़ा हुआ है।

मानवाधिकारों की रूढ़िवादी व्यवस्था ने भी माना है कि सभी प्रकार के अधिकार यानि–सामाजिक, आर्थिक, नागरिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार–परस्पर निर्भर और अविभाज्य हैं। इस बात की पुष्टि 1993 में हुए विश्व मानवाधिकार सम्मेलन सहित कई अवसरों पर की गई है। 'अविभाज्यता और परस्पर निर्भरता' में निहित अधिकारों के संश्लेषण को विकास के अधिकार में पूरी तरह स्पष्ट किया गया है। इसके केन्द्र में मानव को रखा जाता है और उसे विकास का सक्रिय कर्ता समझा जाता है। आर्थिक और राजनीतिक अधिकार अपने में पूर्ण नहीं हैं; मानवीय संभावनाओं को हासिल करने के लिए दोनों की आवश्यकता है। चूंकि इन अधिकारों का संबंध व्यक्ति की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और मानवता के विभिन्न आयामों के साथ है, अतः उनकी अविभाज्यता परस्पर अंतर और प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन कायम करके बनाये रखी जाती है।

गरीबी के कारण और परिणाम तथा उस पर काबू पाने के लिए सुझाये गये उपायों में मानवाधिकारों की परस्पर निर्भरता और अविभाज्यता सबसे अधिक सामने आती है। जो गरीब हैं, आर्थिक या सामाजिक रूप से हाशिए पर हैं, वे ही नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने में सबसे अक्षम हैं। उन्हें कोई भौतिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है; वे जनमत या नीतियों को प्रभावित नहीं कर सकते; अपने को शोषण अथवा अनुचित व्यवहार से बचाने के लिए कानून या अदालतों में नहीं पहुंच सकते और उनकी भागीदारी की कोई संभावना नहीं है। ये सब बातें उनके अवसरों, आहार, मकान, स्वास्थ्य देखभाल, रोज़गार और शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक उनकी पहुंच को सीमित बनाती हैं और उनका जीवन दुर्भर हो जाता है।

अधिकारों की परस्पर निर्भरता स्पष्ट है और उस पर अमर्त्य सेन ने अकाल और सूखे के बारे में किये गये अपने बहुचर्चित लेख में प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि: ''किसी लोकतांत्रिक राज्य में नियमित चुनाव, निर्भीक पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं के रूप में उपलब्ध विविध राजनीतिक स्वतंत्रताओं को सूखों की समाप्ति के पीछे वास्तविक ताकत समझा जाना चाहिए। फिर लगता है स्वतंत्रताओं की एक श्रेणी–आलोचना, प्रकाशन, मतदान की स्वतंत्रताएं–प्रायः अन्य प्रकार की स्वतंत्रताओं–भूख तथा सूखे से बचने की स्वतंत्रता–से जुड़ी हैं।''[188] गरीबी के संदर्भ में दोनों प्रकार के अधिकारों का अर्थ है गरीबों को सशक्त बनाना। आज सामाजिक न्याय के बिना लोकतंत्र स्वयं खतरे में है, जबकि सामाजिक न्याय नागरिकता के अधिकारों का पालन किये बिना हासिल नहीं किया जा सकता। वास्तव में अधिकारों का दायरा गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक उचित संतुलित दृष्टिकोण उपलब्ध कराता है।

असल में मानव विकास, जो गरीब की क्षमताओं को बढ़ाने पर बल देता है, और मानवाधिकारों के बीच एक प्राकृतिक सहजीविता है। यह बात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम–यू एन डी पी की मानव विकास रिपोर्ट से मेल खाती है, जिसमें कहा गया है कि मानव विकास और मानवाधिकार मिलकर काम करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार :

''अगर मानवीय विकास समुदाय के सदस्यों की क्षमताओं और स्वतंत्रताओं में बढ़ोतरी पर ध्यान केन्द्रित करता है, तो मानवाधिकार व्यक्तिगत और सामूहिक एजंटों के क्रियाकलापों और इन क्षमताओं और स्वतंत्रताओं को पाने के लिए बनाई सामाजिक व्यवस्थाओं पर किए जाने वाले दावे हैं।''[189]

e:\chri-talisman report\final files\p1 to 8.pmd

cyan black

मानव विकास विचारधारा में अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण के लिए कई उपयोगी सबक हैं। जब मानवाधिकार की सोचमात्र प्रक्रिया पर ध्यान केन्द्रित करने के जाल में फंस जाए तब मानव विकास नतीजों पर ध्यान केन्द्रित करने में मदद करता है। मानव विकास में इस बात पर बल दिया जाता है कि अधिकारों और कर्त्तव्यों के साथ संसाधनों, विवशताओं और क्षमताओं का लेखा–जोखा रखा जाना चाहिए। मानव विकास के लिए परिवर्तन ज़रुरी है और इसलिए गतिशील दृष्टिकोण ज़रुरी है, पर मानवाधिकार संबंधी सोच में उसका अभाव है।

हालांकि हम जानते हैं कि मानवीय विकास, मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता और मानवीय क्षमताओं से सम्बद्ध है, लेकिन उसमें वह टकराव कहीं दिखाई नहीं देता जो अधिकारों व दायित्वों के सवालों पर सोचने में दिखता है। इस तरह मानव विकास, मानवाधिकारों के मुकाबले अधिक सुविधाजनक ढांचा तैयार करता है। मानव विकास अवधारणा के साथ दायित्वों को जोड़ने के लिए हमें यह कहना होगा कि मानव के सिर्फ अधिकार ही नहीं हैं, बल्कि अन्य लोगों का यह दायित्व भी है कि उनका सम्मान किया जाए, उन्हें पूरा किया जाए और उन अधिकारों को बढ़ावा दिया जाए। यहां कुछ लोग तकलीफ महसूस करते हैं क्योंकि जब यह कहा जाता है कि कुछ दायित्व (दूसरे शब्दों में 'ज़िम्मेदारियां') भी हैं, तो लगने लगता है कि अगर उन्हें पूरा नहीं किया गया तो दोष (culpability) व्यक्ति या व्यवस्था में मौजूद है।

गरीबी उन्मूलन के साथ मानवाधिकारों को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण निहितार्थ यह है कि इसमें उत्तरदायित्व की अपेक्षा की गयी है। जब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में सत्ता असंतुलित हो, तो उत्तरदायित्व की धारणा सर्वाधिक उपेक्षित लोगों के समुदायों के पक्ष में जाती है। भले ही व्यक्तिगत स्तर पर अनेक लोग कानूनी रूप में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी मंच का इस्तेमाल न कर पायें, लेकिन उत्तरदायित्व की संस्कृति की मौजूदगी–शुरू से अंत तक–सभी के कार्यों को विवेकपूर्ण बनाती है। इससे उनकी नीतियों और कार्यपद्धतियों में ज़िम्मेदारी की भावना भरी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष जैसे संगठन इस धारणा का प्रतिरोध करते हैं और वास्तव में उन्होंने यह दर्शाया है कि एसएपीज़ जैसी नीतियों से प्रभावित अधिसंख्य लोगों पर उत्तरदायित्व का सिद्धान्त लागू करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु लोगों और राष्ट्रों का संगठन होने के नाते उत्तरदायित्व की भावना को राष्ट्रमंडल को एक संगठन के रूप में स्वयं के लिए और अपने सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए अवश्य स्वीकार करना होगा। यह धारणा अप्रभावी, अलोकतांत्रिक और दूर से नियंत्रित करने वाली धारणा के ठीक विपरीत है।

अगर विकास अनुग्रह और सहायता का परिणाम है और अधिकार हासिल करने का नतीजा नहीं है, तो इसमें दो बातें विचारणीय हैं। एक तो यह कि सहायता वापिस लिये जाने की स्थिति में विकास के पलटने का खतरा है और दूसरे वह मानव गरिमा की अवधारणा के प्रति उतना संवेदनशील नहीं है, जितना कि मानवाधिकारों को पूरा करके मूर्त रूप दिया जाने वाला विकास होता है। इस दृष्टिकोण में मानव को विकास के केन्द्र में रखा जाता है और मानवाधिकार विकास के साधन और लक्ष्य दोनों ही होते हैं। इसमें अन्य बातों के मुकाबले मानवाधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है और उन्हें कानूनों, नीतियों तथा प्रशासनिक उपायों की गुणवत्ता और यहां तक कि वैधता का पैमाना समझा जाता है। अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण में व्यक्तित्वहीन और अमूर्त बाज़ार पर दायित्व आरोपित नहीं किया जाते, इसमें विभिन्न कर्तव्य–धारियों को सीधे जवाबदेह बनाया जाता है।

जिस तरह एसएपीज और बड़ी परियोजनाएं लोगों से सलाह मशविरा किये बगैर थोप दी गयीं, उससे पता चलता है कि विकास नीतियां और संसाधनों का आवंटन यदि मानवाधिकारों के दृष्टिकोण पर आधारित नहीं होगा, तो उससे मानव कल्याण अथवा सामाजिक स्थिरता बढ़ाने में कोई मदद नहीं मिलेगी। वस्तुस्थिति यह है कि अधिकारों की व्याख्या वकीलों तक सीमित रह गई है और विकास की बातें अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों तक। जो स्थिति अपेक्षित है इसे 'मेन्स्ट्रीमिंग' अर्थात मुख्यधारा में शामिल कराने जैसे शब्दों में कहा जा सकता है। गरीबी दूर करने के लिए मानवाधिकारों के ढांचे का उपयोग कार्य क्षमता और सभी नीतियों तथा कार्यों की समीक्षा के माध्यम के रूप में अवश्य किया जाना चाहिए। इसे जनसेवा का सिद्धांत और दक्षता तथा ईमानदारी की धारणा का आधार बनाया जाना चाहिए।

e:\chri-talisman report\final files\p9_91.pmd

cyan black

वास्तव, में गरीबी दूर करने में अधिकारों के ढांचे के महत्व के बारे में सहमति बढ़ती जा रही है। मौजूदा रुकावटों और समस्याओं के अधिकतर विश्लेषणों में लोकतंत्रीकरण, समानता, भागीदारी और अधिकार प्रदान करने जैसे उपायोग सुझाये जाते हैं। महिलाओं, बच्चों, जनसंख्या और सामाजिक विकास संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रस्तावों तथा संधि–निकायों के कार्यों से भी यही झलकता है। इसे विस्तार से समझने के लिए एक ऐसे सम्मेलन का उदाहरण प्रस्तुत करना उचित होगा, जिसमें इस तरह के समझौते पर सहमति हुई थी। सामाजिक विकास संबंधी कोपनहेगन घोषणा (1995) में सामाजिक विकास खासकर गरीबी और सामाजिक बहिष्करण की समस्याओं का हल करने के लिए मानवाधिकारों और लोकतंत्र पर काफी ज़ोर दिया गया था। असल में, विकास के अधिकार से सम्बद्ध घोषणा को छोड़कर इस घोषणा में किसी भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय घोषणा के मुकाबले अधिक शिद्दत से मानवाधिकारों को विकास के केन्द्र में रखा गया। उदाहरण के लिए, इसमें कहा गया कि समाज के सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र और पारदर्शी तथा ज़िम्मेदार सरकार और प्रशासन सामाजिक और जनकेन्द्रित स्थायी विकास का अपरिहार्य आधार हैं।[190] इसमें आगे कहा गया कि ''महिलाओं की पूर्ण भागीदारी के बिना सामाजिक और आर्थिक विकास का लक्ष्य टिकाऊ ढंग से नहीं प्राप्त किया जा सकता और महिलाओं तथा पुरूषों के बीच समानता और भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक प्राथमिकता है और वास्तव में इसे आर्थिक और सामाजिक विकास के केन्द्र में रखा जाना चाहिए।''[191]

कोपनहेगन घोषणा और कार्यक्रम की केन्द्रवर्ती विषयवस्तु में वर्णित प्रथम सिद्धान्तों और लक्ष्यों में ऐसे ''सामाजिक विकास के राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक लक्ष्य'' के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की गयी है, ''जो मानव गरिमा, मानवाधिकारों, समानता, सम्मान, शांति, लोकतंत्र, परस्पर दायित्व और सहयोग, तथा विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के प्रति पूर्ण आदर पर आधारित है।''[192] महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारों के बीच ''लोकतंत्र, मानव गरिमा, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता, सहिष्णुता, अहिंसा, बहुलता के स्वीकार (pluralism) और राष्ट्रों के भीतर तथा राष्ट्रों के बीच विविधता के पूर्ण सम्मान के साथ भेदभाव रहित व्यवस्था को बढ़ावा देने'' पर सहमति हुई।[193] उन्होंने सभी मानवाधिकारों और विकास के अधिकार सहित सभी के लिए मूलभूत स्वतंत्रताओं के प्रति सार्वभौम सम्मान को बढ़ावा देने तथा यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि शोषित और कमज़ोर व्यक्तियों और समूहों को सामाजिक विकास में भागीदार बनाया जाएगा।[194] इसमें सभी लोगों, खासकर औपनिवेशिक या विदेशी प्रभुत्व के अन्य रूपों या विदेशी आधिपत्य में रह रहे लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार[195] और जनजातीय लोगों ''की अस्मिता, परम्पराओं, सामाजिक संगठनों के रूपों और सांस्कृतिक मूल्यों का पूर्ण सम्मान करते हुए'' उनके आर्थिक और सामाजिक प्रयासों में सहायता करने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया।[196] कोपनहेगन घोषणा के प्रथम संकल्प का अंतिम पैरा ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि (सभी हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र) ''मूलभूत मानव विकास के अभिन्न अंग के रूप में विकास को सार्वभौम और अविछिन्न अधिकार सहित उन सभी मानवाधिकारों की, जो सार्वभौम, अविभाज्य, परस्पर निर्भर और परस्पर सम्बद्ध हैं, फिर से पुष्टि करते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं और उनका सम्मान, सुरक्षा और उन पर अमल करने का प्रयास करने के लिए संकल्प करते हैं।

गरीबी दूर करने के लिए अधिकारों के महत्व के बारे में यह उल्लेखनीय सहमति अपने आप में महत्त्वपूर्ण है, जिस पर अमल करते हुए हमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नीतियों के ढांचे के रूप में मानवाधिकारों की संभावनाओं की खोज करनी होगी।

e:\chri-talisman report\final files\p1 to 8.pmd